प्रेस विज्ञप्ति

15 जुलाई, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया :–

कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के आदेश का स्वागत करती है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजस्थान एवं हरियाणा के पंचायत कानूनों में संशोधनों, जिसके द्वारा चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य कर दिया गया है, ने **'दलितों पर विपरीत प्रभाव'** डालकर उन्हें **'चुनाव लड़ने के अधिकार'** एवं **'अपनी पसंद के प्रत्याशी को अपना मत देने के अधिकार'** से वंचित कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इन कानूनों के चलते हरियाणा एवं राजस्थान में 20 वर्ष से अधिक आयु की 75 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या पंचायत चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित हो गई। इसी प्रकार राजस्थान एवं हरियाणा में 20 वर्ष से अधिक आयु की क्रमशः 93 प्रतिशत एवं 83 प्रतिशत दलित महिलाएं चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित हो गईं।

आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जब तक ''समाज में हर व्यक्ति साक्षर नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर से बड़े पैमाने पर वंचित किया जाता रहेगा।'' और उसने राज्य सरकारों को ''दलितों के लिए आरक्षित सीटों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया है।'' एनसीएससी ने इस बात पर अपना असंतोष भी व्यक्त किया कि राज्य सरकारों ने कानून लाने से पूर्व उससे परामर्श नहीं लिया, बावजूद इसके कि भारत के संविधान के अनुसार दलितों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत विषयों पर आयोग (धारा 338, खंड 9) से परामर्श लेना अनिवार्य है।

कांग्रेस पार्टी ने शुरु से ही इन दलित विरोधी, महिला विरोधी एवं गरीब विरोधी कानूनी संशोधनों का विरोध किया है, क्योंकि ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा लाए संविधान के 73 वें संशोधन की भावना को सिरे से खारिज करते हैं, जिसमें अनिवार्य आरक्षण के द्वारा दलितों को सेल्फ–गवर्नेंस में शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। ये संशोधन कमजोर सामाजिक समूहों को लोकतंत्र में राजनैतिक हिस्सा लेने के अधिकार से वंचित करते हैं और चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करके राज्य की पंचायतों की सत्ता कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने न केवल संबंधित राज्यों में ही इन कानूनों का विरोध किया, बल्कि मार्च, 2016 में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन में एक संशोधन प्रस्ताव भी पेश किया, जो सभी दलों के सहयोग से पारित हुआ, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हितों वाले इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज करवाने की यथा संभव कोशिश की। ऐसा संसद के इतिहास में केवल पांच बार ही हुआ है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया व गरीब तथा दलितों को पंचायती राज में अधिकार के पदों पर निर्वाचित होने से रोकने वाले कानून को बनाए रखा।

कांग्रेस पार्टी राजस्थान एवं हरियाणा की भाजपा सरकारों से इन कानूनों को तत्काल खारिज करने की मांग करती है।